न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

पीठासीन अधिकारी : अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

अपील संख्या – 2016/00021 दायर दिनांक : 02.07.2015

1. जलेसिंह पुत्र मूंगाराम जाति जाट निवासी भैंसली तहसील राजगढ़ जिला चूरू
2. शीशराम पुत्र मूंगाराम जाति जाट निवासी भैंसली तहसील राजगढ़ जिला चूरू
3. प्रतापसिंह पुत्र मूंगाराम जाति जाट निवासी भैंसली तहसील राजगढ़ जिला चूरू
4. अन्तरसिंह पुत्र मूंगाराम जाति जाट निवासी भैंसली तहसील राजगढ़ जिला चूरू
5. मनोजकुमार पुत्र सुरजभान जाति जाट निवासी भैंसली तहसील राजगढ़ जिला चूरू
6. विनोदकुमार पुत्र सूरजभान जाति जाट निवासी भैंसली तहसील राजगढ़ जिला चूरू
7. फूला बेवाह सुरजभान जाति जाट निवासी भैंसली तहसील राजगढ़ जिला चूरू

–अपीलाण्ट्स–

बनाम

1. गोपीचन्द पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी भैंसली तहसील राजगढ़ जिला चूरू
2. सुरेन्द्र पुत्र गोपीचन्द जाति जाट निवासी भैंसली तहसील राजगढ़ जिला चूरू
3. संदीप पुत्र हवासिंह जाति जाट निवासी भैंसली तहसील राजगढ़ जिला चूरू
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब राजगढ़

–रेस्पोडेण्टान

अपील अन्तर्गत धारा 225 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित–

1. श्री गोपीराम सिहाग एड. अपीलाण्ट्स की ओर से।
2. श्री बजरंग लाल शर्मा एड. रेस्पोडेण्ट्स की ओर से।
3. राज पैरोकार रेस्पोडेण्ट संख्या 04 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 10.06.2025

यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर, चूरू से सुनवाई हेतु स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज की जाकर सुनवाई की गई। संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 ता 3 की कृषि भूमि खसरा संख्या 745, 746 रोही मौजा भैंसली तहसील राजगढ़ में जाने के लिए उक्त कृषि भूमि के चिपती हुई गैरमुमकिन जोहड़ी है जिसमें रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 ता 3 रिहायस कर रहे हैं, में जाने के लिए अन्य रास्ता मौजूद है। यह रास्ता वर्षों से रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 ता 3 तक चला आ रहा है इस रास्ते के अलावा अन्य दो रास्ते भी रेस्पोडेण्टान के आवागमन के रहे हैं रेस्पोडेन्टान के द्वारा पुरानी रंजिश के कारण से अपीलाण्टान के खेत में से रास्ता झूठा वताकर गलत आवेदन पत्र पेश किया है। रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 ता 3 को कोई सुखाधिकार प्राप्त नहीं है रेस्पोडेण्टान द्वारा विवादित भूमि खरीद शुदा है जिसमें आवागमन हेतु अपीलान्टान के खेत में कोई रास्ता नहीं रहा है। रेस्पोडेण्टान के द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के समक्ष गोपीचन्द बनाम जलेसिंह वगैरा प्रार्थना–पत्र संख्या 280/12 अन्तर्गत धारा 251 क राज. काश्त. अधि. का इसी रास्ते बाबत पेश कर रखा है इस प्रकार से एक रास्ते के बाबत दो प्रार्थना–पत्र न तो कानूनन पेश किये जा सकते हैं व न ही कानूनन चल सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करते समय तथ्यों व साक्ष्यों का समुचित

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

विवेचन व मूल्यांकन नहीं किया है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर तहसीलदार राजगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2015 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को सःशुल्क जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपीलाण्ट्स की ओर से प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रस्तुत कर रेस्पोडेण्ट संख्या 3 संदीप पुत्र हवासिंह द्वारा 20–20 रूपए कुल 40 रूपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मैनें कोई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है गलत तरीके से मेरे हस्ताक्षर करके प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। तथा खसरा संख्या 707 में जाने के लिए मैंने खसरा संख्या 748 में से होकर रास्ता कभी भी नहीं देखा है। जो बाद सुनवाई शामिल अपील किया गया।

बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेण्टान संख्या 1 ता 3 के खसरा संख्या 745 व 746 रोही ग्राम भैंसली गैर मुमकिन जोहड़ी है जिसमें वो निवासी कर रहे हैं में जाने के लिए अन्य रास्ता मौजूद है। रेस्पोडेण्ट्स द्वारा विवादित भूमि खरीद शुदा है जिसमें आवागमन हेतु अपीलाण्ट्स के खेत में कोई रास्ता नहीं रहा है। रेस्पोडेण्ट्स ने एक अन्य प्रार्थना–पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ में 251 क आरटीएक्ट के तहत इसी रास्ते बाबत प्रस्तुत कर रखा है इस प्रकार दो प्रार्थना–पत्र कानूनन पेश नहीं किये जा सकते अतः अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार राजगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2015 को निरस्त किये जाने बाबत निवेदन किया।

रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों तथा बहस अपीलाण्ट्स को नकारते हुए कथन किया कि तहसीलदार राजगढ़ ने उभयपक्ष को सुनकर साक्ष्य आदि कर प्रकरण में विधिसम्मत् निर्णय पारित किया है। अपील अपीलाण्ट्स खारिज की जावे।

बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक मनन किया गया।

पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने अपील अपीलाण्ट अधिवक्ता की ओर से रेस्पोडेण्ट संख्या 2 संदीप पुत्र हवासिंह द्वारा नॉन ज्यूडिशियल 20–20 रूपए कुल 40 रूपए के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें अंकित किया है कि रेस्पोडेण्ट्स गोपीचन्द आदि ने अपने खेत खसरा संख्या 707 में जाने के लिए खसरा संख्या 748 में से होकर रास्ता बताया है वो रास्ता कभी नहीं रहा तथा ना ही मैंने देखा है रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते समय गलत तरीके से मेरे हस्ताक्षर करवा लिये जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र 251 राज. काश्त. अधि. में, वकालतनामा में तथा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र ऑथ–कमिश्नर से प्रमाणित है में अपने हस्ताक्षर किये हैं। श्री सन्दीप द्वारा प्रार्थना–पत्र दायर दिनांक 14.09.2012 के बाद फैसला दिनांक 04.06.2015 तक इस सम्बन्ध में कोई उजर आपति जाहिर नहीं की है। अपील दायर होने के लगभग 3 वर्ष बाद अपीलार्थी ने यह शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेण्ट सन्दीप ने ना ही गलत तरीके से हस्ताक्षर करके अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने वालों के विरूद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट या अन्य कोई विधिक चाराजोही नहीं की है जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी संख्या 3 सन्दीप स्वयं ने ही प्रार्थी के रूप में कार्यवाही सम्पादित करवाई है। रेस्पोडेण्ट संख्या 03 संदीप पर व्यक्तिशः तामील पश्चात् उपस्थित नहीं हुए हैं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेण्टान संख्या 1 ता 3 ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र धारा 251 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि भूमि खसरा संख्या 745, 746 व खसरा संख्या 747 रोही मौजा भैंसली तहसील राजगढ़ जिला चूरू जो कि कृषि भूमियां प्रार्थीगण के पूर्वज रामजीलाल की खातेदारी और कब्जे काश्त की भूमि रही है जिसके फौत होने के बाद उक्त कृषि भूमियां स्व. रामजीलाल के वारिसान के नाम विरासतन दर्ज हुई है व मौका व कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। रेस्पोडेण्टान अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिए ग्राम भैंसली से नवा जाने वाले रास्ते से खसरा संख्या 707 में होते हुए खसरा संख्या 748 में बीचों बीच से होते हुए अपने खेत में पैदल, पशुधन व ऊंटगाड़े व ट्रैक्टर से आवागमन करते रहे हैं और उन्हे इस रास्ता से आवागमन का सुखाधिकार प्राप्त हो चुका है। रेस्पोडेण्टान के अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता अपीलाण्ट के पिता द्वारा बंद कर दिए जाने पर रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने रास्ता खुलवाने बाबत एक प्रार्थना–पत्र ग्राम पंचायत भैंसली में प्रस्तुत किया था जिस पर पंचायत ने मौका निरीक्षण कर व गवाहान के बयानात लेकर उभय पक्ष की सहमति से खसरा संख्या 748 के पूर्व खातेदार व अप्रार्थीगण के पूर्वज स्व. मूंगाराम का भी अंगूठा मौजूद है..आदि आदि उक्त रास्ता जंहा खसरा संख्या 748 रोही मौजा भैंसली तहसील राजगढ़ जिला चूरू से रोका हुआ है, वहां से अवरोध हटवाया जाकर खुलवाया जावे। साथ ही प्रार्थना–पत्र के साथ रेस्पोडेण्ट संख्या 2 द्वारा दिनांक 20.07.2006 को ग्राम पंचायत भैंसली को रास्ता खुलवाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर ग्राम पंचायत भैंसली की दायर संख्या 2006/1 फैसल दिनांक 05.08.2006 जिसके द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा बन्द किये गये रास्ते को खुलवाये जाने का आदेश दिया था की फोटोप्रतियां प्रस्तुत की है। रेस्पोडेण्टान द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अपीलाण्ट्स की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने कुआं के नजदीक लगती जोहड़ी खसरा संख्या 754 गैर मुमकिन जौहड़ी है उसमें गत 30–35 सालों से मकानात बनाकर रिहायस करता आ रहा है तथा अब प्रार्थी का पुत्र सुरेन्द्र सिहं ने भी उक्त खसरा संख्या 754 जोहड़ी में अपने अलग से मकानात बनाकर रिहायस करने लग गया है तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि एकदम जोहड़ी से सटती ही है तथा आबादी ग्राम भैंसली से कटानी रास्ता उक्त जोहड़ी खसरा संख्या 754 तक तथा उससे भी आगे तक जाता है उसी रास्ते से प्रार्थीगण व अन्य ग्रामवासी अपने खेतों से आवागमन करते हैं। रेस्पोडेण्टान के खेत में जाने का एक दूसरा रास्ता और भी है जो आबादी से खेतों में जाने का रास्ता है जिसको रेस्पोडेण्टान के अपने पेश नक्शा अनेक्चर क में दर्शाया है जो आबादी से खसरा संख्या 707 से होता हुआ प्रार्थीगण की क्रयशुदा कृषि भूमि में से होता हुआ आगे तक अन्य ग्रामवासियों के खेतों में जाता है तथा तीसरा कटाणी रास्ता और है जो आबादी से नवां में जाने का रास्ता है यह रास्ता भी प्रार्थीगण की क्रयशुदा भूमि से लगता है। रेस्पोडेण्टान खसरा संख्या 754 गैर मुमकिन जोहड़ी में अपने रिहायस से अब सन् 2006 में क्रयशुदा कृषि भूमि में अपना सुविधानुसार रास्ता चाह रहे हैं जो कानूनन मांगने का अधिकारी नहीं है क्योंकि कानूनन प्रार्थीगण को उसकी सुविधानुसार रास्ता उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है। रेस्पोडेण्टान द्वारा चाहा गया रास्ता ना तो कभी रहा है तथा ना ही रास्ता को लेकर कभी कोई विवाद हुआ है और ना ही पंचायत में कोई फैसला दिया है। अतः रेस्पोडेण्टान के क्रयशुदा कृषि भूमि में जाने के लिए तीन रास्ते मौजूद हैं, रेस्पोडेण्टान के क्रयशुदा कृषि भूमि में जाने के लिए अन्य तीन रास्ता मौजूद होते हुए प्रार्थी की सुविधा के अनुसार नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है।

रेस्पोडेण्टान की ओर से श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री गोपीचंद, संदीप पुत्र हवासिंह, श्रवण पत्नी श्योराम, सुमेर सिंह पुत्र जयलाल पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत भैंसली, अमरसिंह पुत्र हीराराम, ईश्वरसिंह पुत्र गणेशाराम ने

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

रेस्पोडेण्टान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 251 के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त बन्द रास्ता खुलवाने हेतु निवेदन किया जबकि अपीलाण्ट्स की ओर से सुरेन्द्र पुत्र बल्लाराम, धर्मा पत्नी रामसिंह, रामवीरसिंह पुत्र मौजीराम, सत्यपाल पुत्र मौजीराम, शीशराम पुत्र टेकचन्द, हरिसिंह पुत्र भोजाराम, शमसेर खां पुत्र वजीर खां, हैदर खां पुत्र वजीर खां तथा राजकुमार पुत्र सूरजभान ने रेस्पोडेण्टान के जवाब प्रार्थना–पत्र धारा 251 के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान दिया कि प्रश्नगत रास्ता कभी नहीं रहा है तथा ना ही कोई रास्ता रोक रखा है।

भू–अभिलेख निरीक्षक तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक भी खसरा संख्या 748 के खातेदारान ने रास्ता बन्द कर रखा है जिसे खुलवाने के लिए समझाइश की गई लेकिन उक्त खातेदारान रास्ता खोलने के लिए सहमत नहीं हुए तथा खातेदारान ने भी पूर्व में पगडंडी होना स्वीकार किया है जिससे स्पष्ट है कि पूर्व में उक्त रास्ता था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न ग्राम पंचायत भैंसली की पत्रावली दायरा संख्या 2006/1 दिनांक दायरा 20.07.2006 फैसला दिनांक 08.08.2006 की फोटोप्रतियां के अवलोकन से ज्ञात है कि अपीलाण्ट्स के पूर्वज मूंगाराम द्वारा विवादित रास्ता बन्द किए जाने पर खुलवाने हेतु ग्राम पंचायत भैंसली में रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रार्थना–पत्र दिया गया जिस पर ग्राम पंचायत ने मौका निरीक्षण, गवाह के बयान आदि के आधार पर फैसला किया है जिस पर अपीलाण्ट्स के पूर्वज मूंगाराम के हस्ताक्षर हैं। ग्राम पंचायत ने उक्त रास्ता खुलवाने हेतु मौके पर शांति भंग की आशंका को देखते हुए स्वयं रास्ता खुलवाने में असमर्थता जाहिर कर उपखण्ड अधिकारी को लिखा जाना प्रस्तावित किया है। तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण के दौरान वादगत रास्ता बन्द होना अंकित किया है। ना ही अपीलाण्टान ने ग्राम पंचायत भैंसली द्वारा पारित फैसला दिनांक 08.08.2006 के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में कोई चुनौती दी है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर पटवारी हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक तथा स्वयं तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट्स ने रेस्पोडेण्ट्स की कृषि भूमि खसरा संख्या 745 व 746 रोही मौजा भैंसली में जाने हेतु सदामत के रास्ते को खसरा संख्या 748 की सीमा पर अवरोध पैदा कर बन्द कर दिया है। विद्वान तहसीलदार ने प्रार्थना–पत्र धारा 251 राज. काश्त. अधि. के तहत पेश होने पर नियमानुसार दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित समय व अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण संख्या 26/2012 अनुवानी गोपीचन्द आदि बनाम जलेसिंह आदि में अपने आदेश दिनांक 04.06.2015 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 राज. काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से न्यायालय उक्त आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
चूरू

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू